



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 420]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2020—कार्तिक 7, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2020

“घोषणा”

(नियम-6)

क्र. एफ 21-03-2020-एक-10.—यतः; यह अधिकथित किया गया है कि डॉ. विजय गांधी, नेत्र चिकित्सक-सह-कार्यक्रम प्रबंधक (नेत्र), जिला चिकित्सालय, बालाघाट ने मध्यप्रदेश राज्य में नेत्र चिकित्सक-सह-कार्यक्रम प्रबंधक (नेत्र), जिला चिकित्सालय, बालाघाट का पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन अपराध किया है और अपराध क्रमांक 184 सन् 2012 को मामले का अन्वेषण किया गया था;

और, यतः; अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर, राज्य सरकार की राय है कि डॉ. विजय गांधी पर, जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपनी आय के ज्ञात स्त्रोत से अननुपातिक संपत्तियां संचित की हैं, प्रथमदृष्ट्या प्रकरण बनता है;

और, यतः; राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन समझा गया है कि उक्त अभियुक्त पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन कार्यवाही की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, सचिव.